

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::


// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 17/11/2020

क्रमांक: एफ.17-20/2019/38-1:: डॉ. अब्दुल शहजाद कुरैशी, प्राध्यापक एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मूंदी जिला खण्डवा द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर हिन्दी विषय के प्राध्यापक का पद रिक्त दर्शा कर अतिथि विद्वान को हिन्दी पद पर नियुक्त करने के कारण उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा दिनांक 16/08/2018 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

2/ डॉ. ए.एस. कुरैशी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 15/09/2018 को प्रस्तुत किया गया। डॉ. कुरैशी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर समग्र विचारोपरांत विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16/08/2018 द्वारा डॉ. ए.एस. कुरैशी, प्राध्यापक एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मूंदी जिला खण्डवा को जारी कारण बताओ सूचना पत्र इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(श्वेता पवार)
उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक: एफ.17-20/2019/38-1,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 17/11/2020

- 1/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.
- 2/ स्टाफ ऑफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल म.प्र.
- 3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र.
- 4/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.
- 5/ प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मूंदी जिला खण्डवा म.प्र.
- 6/ डॉ. ए.एस. कुरैशी, प्राध्यापक एवं तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मूंदी जिला खण्डवा म.प्र.


उप सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग